



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

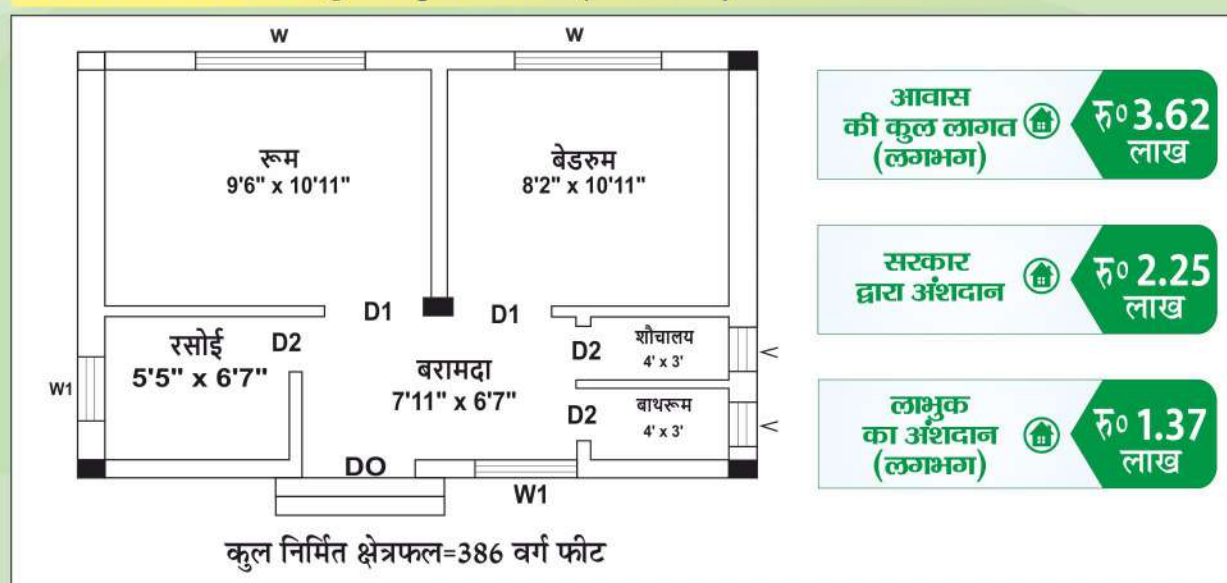
चतुर्थ घटक : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान (BLC)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 (प्रथम चरण) में झारखण्ड के 40 शहरी निकाय अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के कुल 36,304 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

निकायवार स्वीकृत आवासों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लाभुक (सं.)	क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लाभुक (सं.)
1.	आदित्यपुर	753	21.	हरिहरगंज	842
2.	बचरा	11	22.	हजारीबाग	1984
3.	बड़की सरैया	35	23.	जामताड़ा	301
4.	बरहरवा	1165	24.	झुमरीतिलैया	482
5.	बासुकीनाथ	1483	25.	जुगसलाई	14
6.	विश्रामपुर	1121	26.	कपाली	128
7.	बुण्डू	345	27.	खूंटी	1106
8.	चाईबासा	82	28.	लातेहार	673
9.	चक्रधरपुर	307	29.	लोहरदगा	500
10.	चास	803	30.	माहागामा	474
11.	चतरा	1998	31.	मझिऑव	137
12.	चिरकुण्डा	464	32.	मानगो	40
13.	छत्तरपुर	2177	33.	मेदिनीनगर	1685
14.	देवघर	3751	34.	मिहिजाम	1009
15.	धनबाद	576	35.	नगर उंटारी	3293
16.	धनवार	129	36.	पाकुड़	1076
17.	दुमका	1034	37.	राजमहल	791
18.	गढ़वा	544	38.	साहिबगंज	1398
19.	गोड्डा	2000	39.	सरायकेला	164
20.	गुमला	491	40.	सिमडेगा	938
कुल		36304			

आवास के निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा (ले-आउट) :-



PMAY-U अंतर्गत आवास के निर्माण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त होने वाली किशतों का विवरण :-

क्र० सं०	आवास निर्माण का चरण	किशत	प्राप्त होने वाली राशि
1	Foundation से plinth level तक निर्माण हेतु।	प्रथम किशत	₹ 45,000
2	Plinth level से lintel level तक निर्माण हेतु।	द्वितीय किशत	₹ 67,500
3	Lintel level से completion तक निर्माण हेतु।	तृतीय किशत	₹ 90,000
4	आवास निर्माण के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात्।	चतुर्थ किशत	₹ 22,500

अतः सभी संबंधित स्थानीय निकायों के चयनित सुपात्र लाभुक निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु निकाय कार्यालय से संपर्क स्थापित करें।

अधिक जानकारी के लिए अपने नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय अथवा टोल फ्री नं० 1800-120-2929 पर संपर्क करें।